न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः आशाराम डूडी, आर.ए.एस.)

आवेदक

श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही

बनाम

प्रतिवादी/अभियुक्त

1. असलम शाह पुत्र श्री हाजी ईसाक शाह,
   (विक्रेता एवं खाद्य कारोबारकर्ता)

फर्मः- मैसर्स ईम्पीरियल बेकरी, सदर बाजर, सिरोही, तहसील व जिला- सिरोही

2. अंकुर गुप्ता,
   (खाद्यकाराबारकर्ता एवं विक्रेता)

फर्मः- मैसर्स गुप्ता ट्रेडर्स, अरुण होटल के पास, सोजती गेट के सामने, जोधपुर

3. यश एजेन्सी, दुकान नं. 11 व 15, बीजी मार्केट, रियान हाउस, सोजती गेट, जोधपुर जरिये पार्टनर
   (1) हरिश करवानी, निवासी- बंशीलाल चौथमल का हथा, शिवरोड, रातानाडा, जोधपुर
   (2) प्रकाश करवानी, निवासी- 22-ए, महावीर कॉलोनी, रातानाडा, जोधपुर
4. सुरेश कुमार कृपलानी पुत्र श्री ईश्वरदास कृपलानी, (खाद्यकारोबारकर्ता व विक्रेता)

फर्मः- सतगुरु रोजाना रिटेल प्राईवेट लि., वैष्णव मंदिर के पास, मकरोल रोड, अजमेर

5- Guru Krupa Mocktail-N-More LLP, 174/2742, Tagore Nagar, Group 8A, Vikhroli (East), Mumbai-400083
   जरिये श्री सौरभ माथुर पुत्र श्री हरिनारायण, जाति- माथुर, निवासी- जयपुर
   नॉमिनी एवं अधिकृत प्रतिनिधिः- Guru Krupa Mocktail-N-More LLP

प्रकरण संख्याः 15/2018

''अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं धारा- 52 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006''

उपस्थितिः

1. अधिवक्ता श्री ऋषि माथुर, प्रतिवादी संख्या-5 की ओर से

-: निर्णय :- दिनांक 02 जनवरी, 2019

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने प्रतिवादी संख्या- 1 से 4 के विरुद्ध यह आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि दिनांक 15.9.2017 को समय 2.00 पी.एम. पर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी फर्म इम्पीरियल बेकरी, सदर बाजर, सिरोही पर पँहुचा। वहां पर विक्रेता के रुप में उपस्थित व्यक्ति को अपना परिचय दिया व परिचय लिया तो मालूम हुआ कि वह व्यक्ति असलम शाह पुत्र श्री हाजी ईसाक शाह है एवं ईम्पीरियल बेकरी पर मालिक एवं खाद्य कारोबारकर्ता की हैसियत से मौजूद है, जो आम जनता के

....पेज दो

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

उपयोग हेतु खाद्य पदार्थ Orange Fanta Syrup (Brand Home made) का विक्रय करता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग हेतु विक्रय किये जाने वाले खाद्य पदार्थ Orange Fanta Syrup (Brand Home made) के अमानक स्तर का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर की एवं खाद्य कारोबारकर्ता से जांच हेतु Orange Fanta Syrup (Brand Home made) की 4 मूल पैक बोतल खरीद की तथा उसकी कीमत राशि रुपये 600/- अदा कर रसीद प्राप्त की। रसीद पर विक्रेता व उपस्थित गवाह और मेरे हस्ताक्षर है। फार्म संख्या- 5ए तैयार किया, खाद्य कारोबारकर्ता, गवाहों के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं मैने भी अपने हस्ताक्षर किये। फार्म संख्या 5ए की एक प्रति खाद्य कारोबारकर्ता को देकर रसीद प्राप्त की। खाद्य कारोबारकर्ता से खाद्य पदार्थ Orange Fanta Syrup (Brand Home made) की सप्लाई प्राप्त होने के बारे में जानकारी चाही तो बिल होना बताया, बिल की प्रति संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल तैयार कर लेबल पर कोड एवं सीरीयल नं. S-748, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ का नाम आदि अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता, गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् खरीद शुदा खाद्य पदार्थ Orange Fanta Syrup (Brand Home made) के प्रत्येक नमूना पैकेट पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया। फिर चारों नमूना भागों को अलग अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-748 को नियमानुसार गोंद से चिपकाया, प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता व गवाह के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये, फिर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे/जाप्ते में लेकर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसे खाद्य कारोबारकर्ता एवं गवाह ने पढ़ सुनकर, समझ कर सही मानकर हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट पर नमूने को सील करते समय काम में ली गई सील की छाप लगाई गई, फर्द रिपोर्ट मूल ही संलग्न है। फिर कार्यालय पँहुच कर फार्म नंबर 6 की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की, नमूने के चारों भागों के साथ फार्म नंबर 6 की एक एक प्रति लगाकर चारो नमूना भागों को अलग अलग आउटर कवर में बंद किया, मोटे मजबूत धागे से बांधा व नियमानुसार सील चपडी किया। फार्म नंबर 6 की प्रतियां लिफाफों में अलग बन्द कर गोंद से चिपकाई एवं लिफाफों को सील चपडी किया। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी स्वयं ने दिनांक 18.9.2017 को नमूनें का एक भाग एवं फार्म नंबर 6 का एक सील्ड लिफावा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की तथा दिनांक 15.9.2017 को शेष तीन सील बन्द नमूना व फार्म नम्बर- 6 का सील बंन्द लिफावा अभिहित अधिकारी कम मुंख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो मूल ही संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही से Orange Fanta Syrup (Brand Home made) की जांच रिपोर्ट

.....पेज तीन

सिरोही-307001

प्राप्त हुई, प्राप्त जांच रिपोर्ट अनुसार खाद्य कारोबारकर्ता से जांच हेतु क्रय किया गया खाद्य पदार्थ Orange Fanta Syrup (Brand Home made) का नमूना S-748 मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया। है। प्रकरण में अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही ने सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन एवं मनन कर अभियुक्त संख्या- 1 से 4 द्वारा मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ Orange Fanta Syrup (Brand Home made) का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(**ii**) का उल्लंघन पाया जो उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध होने से अभियोजन स्वीकृति जारी कर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के समक्ष न्याय निर्णय आवेदन प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत किया गया है। प्रकरण में अभियुक्तगण द्वारा मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ Orange Fanta Syrup (Brand Home made) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (**ii**) का उल्लंघन किया है जो धारा- 52 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है। अतः अभियुक्तगण पर जुर्माना आरोपित किया जावे।

(2) प्रस्तुत आवेदन पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी अभियुक्त संख्या- 1 से 4 को नोटिस जारी किये जाकर विधिवत तामिल करवाई गई। जिस पर प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 26.9.2018 को प्रतिवादी संख्या-1 असलम शाह व प्रतिवादी संख्या-2 अंकुर शाह ने इस न्यायालय में उपस्थित होकर अलग अलग लिखित जवाब प्रस्तुत किये। प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 14.11.2018 को प्रतिवादी संख्या-4 की ओर से अधिकृत प्रतिनिधि श्री श्याम सुन्दर तोलानी पुत्र श्री मनोहर तोलानी, निवासी- प्लॉट नम्बर 4, राज पोलुटरी फार्म, मकरवाली रोड, अजमेर उपस्थित हुये, जिन्होनें प्रतिवादी संख्या-4 की ओर से लिखित जवाब व फर्म सतगुरु रोजाना रिटेल प्रा.लि. का अधिकृत पत्र व बिल आदि की फोटो प्रति प्रस्तुत की। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या- 3(1) हरिश करवानी व प्रतिवादी संख्या- 3(2) प्रकाश करवानी को नोटिस की तामिल पंजीकृत डाक के माध्यम से होने के बावजूद भी उपस्थित नही हुये एवं न ही प्रतिवादी संख्या- 3 की ओर से लिखित जवाब प्राप्त हुआ।

प्रकरण में प्रतिवादी संख्या-1 की ओर से प्रस्तुत जवाब में यह अंकित किया गया है कि मेरी फर्म ईम्पीरियल बेकरी से ओरेन्ज फेन्टा का नमूना लिया गया था जो जांच में मिथ्याछाप होना पाया गया। उक्त माल मैनें गुप्ता ट्रेडर्स, जोधपुर से खरीदा था जिसकी बिल की प्रमाणित मैनें मौके पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी को दी थी। इसमें मेरी कोई गलती नही है एवं मेरे द्वारा कोई मिलावट नही की गई है, इसलिये मुझे मुक्त किया जावे। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या-2 द्वारा प्रस्तुत लिखित जवाब में यह अंकित किया गया है कि मेरे द्वारा ओरेन्ज फेन्टा सिरप ब्राण्ड होम मेड मैसर्स इम्पीरियल बेकरी, सिरोही को बेचान किया गया था जो मैनें यश एजेन्सी, जोधपुर से खरीदा था। उक्त माल मैनें जिस हालात में खरीदा था उसी हालात में मैनें बेचान किया था जो जांच रिपोर्ट में किसी प्रकार का कोई मिलावट नही होना पाया गया और न ही शरीर के प्रति नुकसान दायक होना पाया गया। केवल जांच रिपोर्ट में मिथ्याछाप होना बताया गया था, जिसमें मेरा कोई दोष नही है, इस हेतु निर्माता जिम्मेदार है, इसलिये मुझे इस प्रकरण से आरोप मुक्त किया जावे।

....पेज चार

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

प्रकरण में प्रतिवादी संख्या- 4 की ओर से प्रस्तुत जवाब में यह अंकित किया गया है कि हमारी फर्म सतगुरु रोजाना रिटेल प्रा.लि. अजमेर में स्थित है, हमारे द्वारा Guru Krupa Mocktail-N-More LLP मुम्बई से माल क्रय किया जाता है। हमारे द्वारा यश एजेन्सी, सोजती गेट, जोधपुर को माल बेचा गया था, हमारे द्वारा केवल ट्रेडिंग की जाती है, हमारी फर्म द्वारा इसका निर्माण नही किया जात है, इसलिये Guru Krupa Mocktail का नाम जोडा जावे व हमे दोषमुक्त किया जावे।

प्रकरण में प्रतिवादी संख्या-4 के उक्त अधिकृत प्रतिनिधि श्री श्याम सुन्दर तोलानी द्वारा जवाब के साथ प्रस्तुत बिल/वेट इनवोईस की छायाप्रति के अवलोकन से यह पाया गया कि प्रकरण में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिवादी अभियुक्त संख्या-1 (असलम शाह) की फर्म इम्पीरियत बेकरी, मेन बाजार, सिरोही में प्रतिवादी अभियुक्त संख्या-1 से Orange Fanta Syrup का नमूना वास्ते जांच क्रय किया था, वह Orange Fanta Syrup प्रतिवादी संख्या-4 की फर्म सतगुरु रोजना रिटेल प्रा.लि. द्वारा Guru Krupa Mocktail-N-More LLP, 174/2742, Tagore Nagar, Group 8A, Vikhroli (East), Mumbai-400083 से बिल/इनवोईस नम्बर 000007 दिनांक 05.4.2018 के द्वारा क्रय किया गया था, जो कि उक्त खाद्य पदार्थ Orange Fanta Syrup की निर्माता फर्म है। इस प्रकार, प्रकरण में उक्त निर्माता फर्म Guru Krupa Mocktail-N-More LLP को मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ Orange Fanta Syrup के निर्माण, पैकिंग व विक्रय का दोषी पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 78 के तहत उक्त निर्माता फर्म Guru Krupa Mocktail-N-More LLP, 174/2742, Tagore Nagar, Group 8A, Vikhroli (East), Mumbai-400083 को पक्षकार (प्रतिवादी संख्या-5)बनाया गया एवं नोटिस जारी कर विधिवत तामिल करवाई। जिस पर प्रकरण की सुनवाई के दौरान प्रतिवादी संख्या-5 की ओर से अधिवक्ता श्री ऋषि माथुर उपस्थित हुये एवं प्रतिवादी संख्या-5 की ओर से लिखित जवाब एवं जवाब के संलग्न उक्त निर्माता फर्म के अधिकृत नॉमिनी पत्र की छाया प्रति प्रस्तुत की।

(3) प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 02.1.2019 को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित नही हुये एवं न ही प्रतिवादी संख्या- 1 से 4 उपस्थित हुये। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या-5 के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। जिन्होनें बहस के दौरान प्रतिवादी संख्या-5 की ओर से प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि निर्माता फर्म Guru Krupa Mocktail-N-More LLP द्वारा ओरेन्ट फेन्टा का उत्पादन नियमों के तहत ही होता है और बोतल के लेबल पर उक्त ओरेन्ज फेन्टा (पेय पदार्थ) में काम आने वाले सभी तत्वों और उनकी प्रतिशत मात्रा का उल्लेख भी लेबल पर किया हुआ है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर बोतल के लेबल पर न तो कोई सीरीयल नम्बर अंकित किये थे और न ही लेबल पर दिनांक, स्थान और खाद्य पदार्थ का नाम अंकित किया था और न ही उक्त ओरेन्ज फेन्टा को नियमानुसार सील चपडी किया था। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने ऐसी कोई विधिक प्रक्रिया मौके पर नही अपनाई थी। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके

....पेज पांच

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

पर न तो ओरेन्ज फेन्टा के जब्ती की विधिक कार्यवाही अपनाई थी और न ही मौके पर कोई फर्द ही तैयार की थी, बल्कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने प्रतिवादी संख्या-1 के खाली पेपर्स पर हस्ताक्षर अवश्य लिये थे जिसका प्रार्थी ने दुरुपयोग किया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने प्रतिवादी संख्या-1 को जांच रिपोर्ट की प्रति न तो भिजवाई है व न ही फार्म नं. 8 में अपील आवेदन करने हेतु सूचित किया है। जिससे प्रतिवादीगण के ''प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त'' का हनन हुआ है। प्रतिवादी संख्या-5 के अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह भी व्यक्त किया कि निर्माता फर्म ओरेन्ज फेन्टा एक पेय पदार्थ है, उक्त पेय पदार्थ के निर्माण मं आने वाले सभी तत्वों और उनकी प्रतिशत मात्रा और उपयोग में लेने की अन्तिम तिथि तक का उल्लेख लेबल पर स्पष्ट रुप से किया हुआ है उसके बावजूद भी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने प्रतिवादीगण को परेशान करने की नियत से लेबल पर उपयोग में आने वाले तत्वों की प्रतिशत मात्रा का अंकन नही मानते हुए और उसे मिथ्या छाप बताकर गलत रुप से यह परिवाद प्रस्तुत किया है। ओरेन्ज फेन्टा के लेबल पर ओरेन्ज की प्रतिशत मात्रा का उल्लेख नही होने के आधार पर ओरेन्ज फेन्टा को मिथ्याछाप नही माना जा सकता है। उसके बावजूद भी निर्माता फर्म गुरुकृपा मोकटेल एन मोर ने नये उत्पादनों के लेबल पर तत्वों की प्रतिशत मात्रा गहराई से अंकित कर दी है, ताकि पुनः सन्देह की स्थिति उत्पन्न न हो। अतः प्रस्तुत परिवाद को खारिज किया जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 15.9.2017 को 2.00 पी.एम. पर आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु फर्म इम्पीरियल बेकरी, सदर बाजार, सिरोही पर गये। वहां उक्त फर्म इम्पीरियल बेकरी पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक की हैसियत से असलम शाह पुत्र श्री हाजी ईसाक शाह, जाति- मुसलमान, निवासी- सिपाहीयों का मोहल्ला, सिरोही उपस्थित मिले, जो आम जनता के उपयोग हेतु Orange Fanta Syrup (Brand Home made) का विक्रय करता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त फर्म इम्पीरियल बेकरी के निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग हेतु विक्रय क्रिये जाने वाले Orange Fanta Syrup (Brand Home made) के अमानक स्तर का शक होने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना क्रय करने की सूचना उपस्थित गवाह श्री पंकज कुमार पुत्र श्री चम्पतलाल, जाति- कुम्हार, निवासी- कुम्हारवाडा, सिरोही के समक्ष विक्रेता/खाद्यकारोबारकर्ता असलम शाह को प्रपत्र संख्या 5ए में भरकर दी तथा उक्त इम्पीरियल बेकरी में आमजन के बिक्री हेतु रखे हुये Orange Fanta Syrup (Brand Home made) की 20 पैकड बोतलों (प्रत्येक 750 मि.ली.) में से Orange Fanta Syrup (Brand Home made) की 4 पैकड बोतल (प्रत्येक 750 मि.ली.) क्रय की उसकी कीमत राशि रुपये 600/- (अक्षरे रुपये छः सौ मात्र) अदा कर क्रय करने की रसीद तैयार कर खरीद रसीद बिल प्राप्त किया। प्रपत्र संख्या 5ए, नमूना खरीद रसीद बिल मूल ही न्यायालय पत्रावली पर

....पेज छः

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

उपलब्ध है जिन पर खाद्य कारोबारकर्ता असलम शाह व उक्त गवाह पंकज कुमार तथा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर लेबल तैयार कर लेबलों पर अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के कोड एवं कमांक S-748, दिनांक, खाद्य पदार्थ का नाम, नमूना लेने का स्थान आदि अंकित कर प्रत्येक लेबल पर उक्त खाद्य कारोबारकर्ता असलम शाह व उक्त गवाह के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने Orange Fanta Syrup (Brand Home made) की चारों खरीद शुदा पैक्ड बोतलों पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया और चारों नमूना भागों को अलग अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-748 को नियमानुसार गोद से चिपकया व प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता असलम शाह व उक्त गवाह के हस्ताक्षर कराये और आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् उक्त चारों नमूनों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने कब्जे/जापते में लिया व मौके पर मौका फर्द तैयार की गई। मौका फर्द रिपोर्ट पर खाद्य कारोबारकर्ता असलम शाह व उक्त गवाह पंकज कुमार तथा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। आवदेक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत मूल दस्तावेज फार्म नम्बर 5ए, खाद्य पदार्थ कय का बिल एवं मौका फर्द आदि के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रकरण में खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने इम्पीरियल बेकरी, सदर बाजार, सिरोही में खाद्यकारोबारकर्ता एवं विक्रेता असलम शाह से Orange Fanta Syrup (Brand Home made) को खाद्य पदार्थ एवं सुरक्षा अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है।

तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उक्त Orange Fanta Syrup (Brand Home made) के चारों नमूना भागों को साथ लेकर कार्यालय पॅहुचकर फार्म नम्बर-6 की प्रतियां तैयार की एवं उस पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की तथा नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर-6 की एक एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को प्रत्येक को अलग अलग आउटर कवर में बंद किया व धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। साथ ही, फार्म नम्बर-6 की प्रतियां अलग से लिफावों में रखकर लिफावों को सील चपडी किया। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुंरक्षा अधिकारी स्वयं ने दिनांक 18.9.2017 को नमूने का एक भाग एवं फार्म नम्बर-6 का एक सील बन्द लिफावा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की, जो पत्रावली पर उपलब्ध है एवं उस पर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की नमूना प्राप्ति की रसीद अंकित है। साथ ही, नमूने के द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ भाग मय फार्म नम्बर-6 को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही को दिनांक 15.9.2017 को जमा कराकर रसीद प्राप्त की गई। विचारणीय प्रकरण में उक्त Orange Fanta Syrup (Brand Home made) का नमूना संख्या S-748 की खाद्य विश्लेषक, जोधपुर द्वारा प्रस्तुत विश्लेषण

.....पेज सात

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./825/Act/2017/824 दिनांक 27.9.2017 के अनुसार आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म इम्पीरियल बेकरी, सदर बाजार, सिरोही में खाद्यकारोबारकर्ता एवं विक्रेता असलम शाह से वास्ते जांच क्रय किया गया Orange Fanta Syrup (Brand Home made) का नमूना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) के अन्तर्गत मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी पाया गया कि प्रकरण में खाद्यकारोबारकर्ता एवं विक्रेता असलम शाह को अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के पत्र क्रमांक: एफएसएसए/2016/5321-24 दिनांक 18.12.2017 के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की विश्लेषण जांच रिपोर्ट की प्रति प्रेषित कर सूचित किया गया कि अगर उक्त जांच रिपोर्ट से सन्तुष्ट नही हो तो अपील आवेदन प्रारुप-8 में इस पत्र प्राप्ति के 30 दिवस में प्रस्तुत करे, लेकिन संबंधित द्वारा अधिसूचित रेफरल लेब से नमूने की जांच कराने हेतु अपील आवेदन प्रस्तुत नही किया। उक्त पत्र की एक प्रति मय विश्लेषण जांच रिपोर्ट के निर्माता फर्म Guru Krupa Mocktail-N-More LLP, 174/2742, Tagore Nagar, Group 8A, Vikhroli (East), Mumbai-400083 को भी प्रेषित की गई है।

प्रकरण में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन के साथ प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह तथ्य भी साबित होता है कि प्रतिवादी असलम शाह की फर्म इम्पीरियल बेकरी, सदर बाजार, सिरोही ने उक्त Orange Fanta Syrup (Brand Home made) की 750-750 मि.ली. की पैक्ड बोतलों को बिल नम्बर 001058 दिनांक 22.5.2017 के द्वारा मैसर्स गुप्ता ट्रेडर्स, अरुण होटल के पास, सोजती गेट, जोधपुर से क्रय किया है, जो कि प्रतिवादी संख्या- 2 की फर्म है। प्रतिवादी संख्या- 2 की फर्म गुप्ता ट्रेडर्स, अरुण होटल के पास, सोजती गेट, जोधपुर द्वारा उक्त Orange Fanta Syrup (Brand Home made) की पैक्ड बोतलों को फर्म यश एजेन्सी, शॉप नम्बर 11 व 15, बी.जी. मार्केट, सोजती गेट, जोधपुर से इनवोईस नम्बर 2017-18/1656 दिनांक 21.5.2017 के द्वारा क्रय किया गया है, जो कि प्रतिवादी संख्या-3(1)(2) क्रमशः हरिश करवानी व प्रकाश करवानी की भागीदारी की फर्म है। प्रतिवादी संख्या-3(1) व 3(2) की भागीदारी की फर्म यश एजेन्सी, दुकान नं. 11 व 15, बीजी मार्केट, रियान हाउस, सोजती गेट, जोधपुर ने उक्त Orange Fanta Syrup (Brand Home made) की पैक्ड बोतलों को फर्म सतगुरु रोजाना रिटेल प्रा.लि., वैष्णव मंदिर के पास, मकराल रोड, अजमेर से टेक्स इनवोईस नम्बर 17/20334 दिनांक 12.4.2017 के द्वारा क्रय किया था जो कि प्रतिवादी संख्या-4 की फर्म है। प्रतिवादी संख्या- 4 की फर्म सतगुरु रोजना रिटेल प्रा.लि. द्वारा उक्त Orange Fanta Syrup (Brand Home made) की पैक्ड बोतलों को फर्म Guru Krupa Mocktail-N-More LLP, 174/2742, Tagore Nagar, Group 8A, Vikhroli (East), Mumbai-400083 से टेक्स इनवोईस नम्बर 000007 दिनांक 05.4.2017 के द्वारा क्रय किया गया था, जो Orange Fanta Syrup (Brand Home made) की निर्माता फर्म है। इससे, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि निर्माता फर्म Guru Krupa Mocktail-N-More LLP, 174/2742, Tagore Nagar, Group 8A, Vikhroli (East), Mumbai-400083

.....पेज आठ

मुख्य. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

द्वारा मिथ्या छाप (Mis-branded) खाद्य पदार्थ Orange Fanta Syrup (Brand Home made) का निर्माण, पैकिंग एवं विक्रय किया गया है जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा-2(ii) का उल्लंघन है एवं इस अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्मने योग्य अपराध है। इस प्रकार, प्रकरण में मिथ्या छाप (Mis-branded) खाद्य पदार्थ Orange Fanta Syrup (Brand Home made) के निर्माण, पैकिंग व विक्रय हेतु मुख्य रुप से निर्माता फर्म Guru Krupa Mocktail-N-More LLP दोषी पाई जाती है।

अत: खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 80 के तहत प्रकरण में प्रतिवादी अभियुक्त संख्या 1 से 4 को आरोप मुक्त किया जाकर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा-(1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क-4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा- 52 के तहत निर्माता फर्म Guru Krupa Mocktail-N-More LLP, 174/2742, Tagore Nagar, Group 8A, Vikhroli (East), Mumbai-400083 पर राशि रुपये 20,000/- (अक्षरे रुपये बीस हजार मात्र) का जुर्माना आरोपित किया जाता है। साथ ही, प्रतिवादी संख्या-5 के नॉमिनी एवं अधिकृत प्रतिनिधि सौरभ माथुर पुत्र श्री हरिनारायण माथुर को आदेशित किया जाता है कि निर्माता फर्म Guru Krupa Mocktail-N-More LLP, 174/2742, Tagore Nagar, Group 8A, Vikhroli (East), Mumbai-400083 पर आरोपित उक्त जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्टेट, सिरोही के कार्यालय में 30 दिवस के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया।

(आशाराम डूडी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही